प्रपत्र संख्या URC – 2

अध्याय XXI के भाग–I के अंतर्गत पंजीकरण संबंधी सूचना हेतु विज्ञापन

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(ब) तथा कंपनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसरण में]

1. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुपालन में, "TELECOM SECTOR SKILL COUNCIL" नामक सोसायटी के अध्याय XXI के भाग–I के अंतर्गत पंजीकरण हेतु तथा इसे गारंटी द्वारा सीमित धारा 8 कंपनी में परिवर्तित करने के प्रस्ताव के संबंध में, रजिस्ट्रार कार्यालय, आर ओ सी दिल्ली–I, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, चौथी मंजिल, IFCI टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019 में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(I) भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों की शुरुआत एवं समर्थन करना शामिल है जो मूल्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करें। यह कौशल आवश्यकताओं की पहचान, संरचित कौशल योजनाओं का विकास, कौशल सूची (Skill Inventory) का रखरखाव तथा उद्योग मानकों के अनुरूप दक्षता मानकों की स्थापना का कार्य करेगी।

(ii) यह प्रशिक्षण पहलों, जिसमें "ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स" भी शामिल है, के माध्यम से क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगी तथा उत्कृष्टता अकादमियों को बढ़ावा देगी। प्रस्तावित धारा 8 कंपनी संबद्धता (Affiliation), प्रत्यायन (Accreditation), प्रमाणन (Certification) एवं मूल्यांकन (Assessment) हेतु मानकीकृत प्रणालियों के विकास की दिशा में कार्य करेगी तथा प्रशिक्षण की प्रभावी योजना एवं क्रियान्वयन हेतु श्रम बाजार सूचना प्रणाली (Labour Market Information System) की स्थापना करेगी।

(iii) यह सरकार के विभिन्न निकायों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं, प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य हितधारकों के साथ सहयोग करेगी। साथ ही वैश्विक प्रवृत्तियों की समीक्षा, कौशल अंतराल की पहचान तथा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक उन्नयन को प्रोत्साहित करेगी तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं अप्रेंटिसशिप हेतु साझेदारी स्थापित करेगी।

(iv) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रस्तावित धारा 8 कंपनी धनराशि प्राप्त कर सकेगी, संसाधनों का प्रबंधन कर सकेगी, संपत्ति अर्जित कर सकेगी तथा संबंधित संगठनों के साथ समझौते कर सकेगी। यह संगोष्ठियों का आयोजन, अनुसंधान प्रकाशन, संस्थानों की स्थापना तथा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी वैध गतिविधियाँ कर सकेगी।

3. प्रस्तावित कंपनी के प्रारूप ज्ञापन (Memorandum) एवं उपविधियों (Articles of Association) की प्रति पंजीकृत कार्यालय – दूसरी मंजिल, सी–डॉट कैंपस, मंडी रोड, महरौली, नई दिल्ली – 110030 तथा शाखा कार्यालय – प्लॉट संख्या 126, तीसरी मंजिल, सेक्टर–44, गुरुग्राम, हरियाणा – 122003 में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

4. एतद्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन पर कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर अपनी लिखित आपत्ति रजिस्ट्रार, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर (CRC), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA), प्लॉट संख्या 6, 7, 8, सेक्टर–5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम – 122050, हरियाणा को भेज सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा शाखा कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए।

टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल के लिए
हस्ताक्षरित /–
लेफ्टिनेंट जनरल कुलभूषण हनुमंत गावस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

दिनांक: 15.05.2026
स्थान: दिल्ली

HDB FINANCIAL SERVICES **एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड**

13(4) सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जा नोटिस

पंजीकृत कार्यालयः राधिका, द्वितीय मंजिल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोडः 380009
शाखा कार्यालयः एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, खसरा नंबर 47, ऑक्सफोर्ड स्कूल के पीछे, विकासपुरी, दिल्ली 110018

जबकि, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 64) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/ओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता को उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त ऋणी/सह–ऋणी द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणी/सह–ऋणी और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 22.12.2023 एवं 23.12.2023 को को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। ऋणी विशेष रूप से और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधीन होगा, जिसमें संबंधित तिथि से भविष्य के ब्याज, लागत और शुल्क के साथ यहां निर्दिष्ट राशि होगी। कब्जे में ली गई संपत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

1) उधारकर्ताध्सह–उधारकर्ताध्गारंटर का नाम और पता 2) ऋण खाता संख्या, 3) ऋण राशि, 4) मांग नोटिस की तिथि,5) दावा की गई राशि भारतीय रूपये में, 6) प्रतिभूतियों का विवरण, 7) कब्जे की तिथि

उधारकर्ता और सह–उधारकर्ताओं का नामः अरोडा ट्रेडर्स–389, आजाद मार्केट, श्री राम मंदिर के पास, दिल्ली–110006, दिल्ली, तथा साथ ही खसरा 344 में स्थित संपत्ति संख्या यु–61 का संपूर्ण प्रथम तल भाग,छत के अधिकारों के बिना, नितिन अरोडा, मकान संख्या यु–61 प्रथम तल, उत्तम नगर, दिल्ली–110059, रेखा अरोडा, मकान संख्या यु–61 प्रथम तल, उत्तम नगर, दिल्ली–110059, लव कुमार अरोडा, मकान संख्या यु–61 प्रथम तल, उत्तम नगर, दिल्ली–110059, ऋण खाता संख्याः 8627745, ऋण राशिः 2371030/– रुपये (केवल तेईस लाख इकहत्तर हजार तीस रुपये) ऋण खाता संख्या 8627745 के माध्यम से। मांग नोटिसः 24.02.2026, दावा की गई राशिः 24.02.2026 तक 642,866.33/–रुपये (छह लाख बयालीस हजार आठ सौ छियासठ रुपये और तैंतीस पैसे मात्र) और वास्तविक वसूली तक भविष्य का संविदात्मक ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीएः 02.02.2026,प्रतिभूति का विवरणः खसरा संख्या 344 में स्थित प्लॉट संख्या यू–61 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और भाग, जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, बिंदापुर गांव और "सुभाष पार्क" कॉलोनी, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 के क्षेत्र में स्थित है, उक्त संपत्ति के अंतर्गत भूमि के मुक्तधार अधिकार शामिल है,संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैंः उत्तरः मार्ग 10 फीट। दक्षिणः 20 फीट का मार्ग, पूर्वः प्लॉट संख्या यु–61 का भाग, पश्चिमः प्लॉट संख्या 60, कब्जा तिथिः 12.05.2026,

ऋणकर्ता एवं सह–ऋणकर्ताओं के नामःडी कुमार एंड कंपनी, एलजी–29ए, रहेजा मॉल, सेक्टर–48, गुरुग्राम, गुड़गांव–122018, हरियाणा। साथ ही व्यावसायिक स्थान, दुकान संख्या 029ए, सबसे निचला भूतल, 62.882 वर्ग मीटर, 36 वर्ग मीटर, रहेजा मॉल, टिकरी, सोहना रोड, गुड़गांव–122018। ईशा त्रेहन, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट, टॉवर ई, बेलग्रेविया, फ्लैट 1ए, सोहना रोड, सुभाष चौक के पास, सेक्टर–48, इस्लामपुर (97), गुड़गांव–122018, हरियाणा। दीप त्रेहन, सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट, टॉवर ई, बेलग्रेविया, फ्लैट 1ए, सोहना रोड, सुभाष चौक, सेक्टर–48, इस्लामपुर (97), गुड़गांव–122018, हरियाणा। ऋण खाता संख्याः 25085344, ऋण राशिः 6000000/–रुपये (साठ लाख रुपये मात्र) खाता संख्या 25085344 द्वारा, मांग सूचनाः 16.02.2026, दावा की गई राशिः 11.02.2026 तक 4252481.1/– रुपये (बयालीस लाख बावन हजार चार सौ इक्यासी रुपये और दस पैसे मात्र) सहित वास्तविक प्राप्ति तक भविष्य के संविदात्मक ब्याज सहित आकस्मिक व्यय, लागत और शुल्क आदि। एनपीएः 02.02.2026, प्रतिभूति का विवरणः व्यावसायिक स्थान दुकान संख्या 029ए, सबसे निचले भूतल पर स्थित का वह सम्पूर्ण टुकड़ा और अंश, जिसका सुपर एरिया लगभग 62.882 वर्ग मीटर (676.863 वर्ग फुट) और निर्मित क्षेत्र लगभग 36 वर्ग मीटर (387.504 वर्ग फुट) है। यह बहुमंजिला इमारत/व्यावसायिक परिसर "राहेजा मॉल"में स्थित है, जो टिकरी गांव, सोहना रोड, सेक्टर 47, उप तहसील बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा में है। संपत्ति की सीमाएँ उत्तरः एलजी 030ए, दक्षिणः एलजी 028ए, पूर्वः दुकान संख्या एलजी 029बी, पश्चिमः चौड़ा गलियारा हैं। कब्जा तिथिः 12.05.2026

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है।

किसी भी प्रश्न के लिए कृपया श्री अरुण यादव फोनः 9350538386/
श्री विकास आनंद – 9711010384, से संपर्क करें।

स्थानः दिल्ली, दिनांकः 15.05.2026 **हस्ता./– एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के लिए, प्राधिकृत अधिकारी**

सार्वजनिक उद्घोषणा
(दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016की धारा 102 के तहत)

श्रीमती प्रीति जैन, मेसर्स प्रिमस मेट्रोल लिमिटेड (पूर्व में राज रतन स्मेल्टर लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) के कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच ने धारा 95 के तहत अपने आदेश सीपी (आईबी) संख्या 66/एएलडी/2024 के माध्यम से श्रीमती प्रीति जैन,जिनका आवासीय पता मकान संख्या 128/09,किदवई नगर, कानपुर –208011, उत्तर प्रदेश है, के विरुद्ध दिवालियापन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 06.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 13.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।

श्रीमती प्रीति जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित 03.06.2026 (13.05.2026 से 21 दिन) तक या उससे पहले प्रविष्टि संख्या 7 में उल्लिखित पत्राचार पते पर समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करें।

लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,कूरियर द्वारा,स्पीड पोस्ट द्वारा,पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

	व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1	**व्यक्तिगत गारंटर का नाम**	श्रीमती प्रीति जैन
2	**व्यक्तिगत गारंटर का आवासीय पता**	मकान संख्या 128/09,किदवई नगर, कानपुर –208011, उत्तर प्रदेश
3	**दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि**	आदेश दिनांक 06.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 13.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।
4	**दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि**	03.06.2026 (13.05.2026 से 21 दिन)
	संकल्प पेशेवर का विवरण	
5	**संकल्प पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या**	श्री वीरेंद्र मौर्य आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
6	**बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्प पेशेवर का पता और ई–मेल**	पंजीकृत पताः ई 1/145, बर्रा –8, कानपुर 208027, उत्तर प्रदेश, ईमेलः virendramaurya.ip@gmail.com
7	**समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई–मेल**	28, सेक्टर 8सी,वृंदावन कॉलोनी, तेलीबाग,लखनऊ–226029, उत्तर प्रदेश ईमेलः pginsolvency.pml@gmail.com
8	**संबंधित प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध हैं:**	**(ए)** भारतीय दिवालियापन एवं दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत प्रपत्र बी, **(बी)** वेबलिंकः https://ibbi.gov.in/home/downloads

कृपया ध्यान दें कि दावे के संबंध में कोई भी झूठा या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिवालियापन एवं दिवालियापन संहिता, 2016 ("संहिता") तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 101 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एक स्थगन लागू किया गया है, जो दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगा। धारा 101(2) के अनुसार, स्थगन अवधि के दौरान, किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी, और कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। आपसे अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें और यदि कोई दावा हो तो उसे 03.06.2026 से पहले दाखिल करें।

वीरेंद्र मौर्य
समाधान पेशेवर

दिनांकः 15–05–2026 **आईबीबीआई पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022**
स्थानः कानपुर **एएफए 30.06.2026 तक वैध**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

INDIAN EXPRESS GROUP

THE LATEST TRENDS IN BUSINESS

THE LATEST TRENDS IN TRENDS

FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead